न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरिमोहन मीना, आई0ए0एस0

(Bank Case)

प्रकरण संख्या – 62/2022

चौलामण्डल इन्वे. एण्ड फाई. लि. कम्पनी, रजिस्टर्ड कार्यालयः– डेरे हाउस, नम्बर– 2ए, एन.एस.सी. बोस रोड, पार्यास, चैन्नई, क्षेत्रीय कार्यालय– 3 सी, पर्ल प्लाजा, वल्लभ बाडी, कोटा (राज.) जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री नितेश अग्रवाल।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. अरविन्द ओझा पुत्र श्री घनश्याम ओझा (ऋणी/बंधककर्ता)
   पताः– 3 ई 8, दादाबाडी (विस्तार योजना), तहसील– लाडपुरा, कोटा (राज.)
2. रेखा ओझा पत्नी श्री अरविन्द ओझा
   पताः– 3 ई 8, दादाबाडी (विस्तार योजना), तहसील– लाडपुरा, कोटा (राज.)
3. मै. आध्या ईट उद्योग
   पताः– मवासा रोड, कैथून, तहसील– लाडपुरा, कोटा (राज.)
4. इन्द्रा ओझा पत्नी श्री घनश्याम ओझा
   पताः– 3 ई 8, दादाबाडी (विस्तार योजना), तहसील– लाडपुरा, कोटा (राज.)
5. नवनीत ओझा पुत्र श्री घनश्याम ओझा (सहऋणी/बंधककर्ता)
   पताः– 3 ई 8, दादाबाडी (विस्तार योजना), तहसील– लाडपुरा, कोटा (राज.)
6. योगेन्द्र ओझा (गारन्टर)
   पताः– 3 ई 8, दादाबाडी (विस्तार योजना), तहसील– लाडपुरा, कोटा (राज.)

– सहऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री नरपतसिंह राजावत, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 07.06.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है चौलामण्डल इन्वे. एण्ड फाई. लि. कम्पनी, रजिस्टर्ड कार्यालयः– डेरे हाउस, नम्बर–2ए, एन.एस.सी. बोस रोड, पार्यास, चैन्नई, क्षेत्रीय कार्यालय– 3 सी, पर्ल प्लाजा, वल्लभ बाडी, कोटा (राज.) में स्थित है, से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने दिनांक 31.08.2018 को अनुबंध संख्या XOHERJA00002551205 के जरिये कुल राशि रूपये 22,00,000/–(अक्षरेः रूपये बाईस लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति मकान नम्बर 3 ई 8, दादाबाडी (विस्तार योजना), कोटा (राज.) में स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 60.00 वर्ग मीटर है जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में– मकान नं. 3 ई 9, पश्चिम में– मकान नं. 3 ई 7, उत्तर में– रोड, दक्षिण में– मकान नं. 3 ई 31 स्थित है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 24.03.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 29,80,288/– (अक्षरे रूपये उन्तीस लाख, अस्सी हजार, दो सौ अठयासी रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 21.06.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 21.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 21.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत को दिनांक 21.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति मकान नम्बर 3 ई 8, दादाबाडी (विस्तार योजना), कोटा (राज.) में स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 60.00 वर्ग मीटर है जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में– मकान नं. 3 ई 9, पश्चिम में– मकान नं. 3 ई 7, उत्तर में– रोड, दक्षिण में– मकान नं. 3 ई 31 स्थित है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 07.06.2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)